कार्यालय कलेक्टर, जिला–उज्जैन (म.प्र.)

01 नाम अधिकारी मय पद नाम

श्री पी0सी0गुप्ता, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला उज्जैन।

02 ई–मेल

foodoffujj@nic.in

03 कार्यालय/निवास का फोन नम्बर एवं मोबाईल नम्बर

कार्यालय 2510967 निवास 2524207, मोबाईल नं0 9424891180 ।

04 विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की अद्यतन जानकारी

राशनकार्ड पर खाद्यान्न शक्कर, केरोसीन वितरण :–

(A) ए0पी0एल0 राशनकार्ड 296601 जिले में प्रचलित है। ए0पी0एल0 राशनकार्ड पर 10 किलो प्रतिकार्ड गेहूँ वितरण कराया जा रहा है। वर्तमान में 06 माह का एकमुश्त जून–12 से नवम्बर–12 तक का गेहूँ प्रदाय किया जा रहा है। केरोसीन प्रतिकार्ड 04 लीटर बगैर गैस कनेक्शन के, सिंगल बाटल कनेक्शन धारी को आधा अर्थात 02 लीटर डबल बाटल गैस कनेक्शन धारी को 0 लीटर ।

(B) बी0पी0एल0 राशनकार्ड 146637 जिले में प्रचलित है। बी0पी0एल0 राशनकार्ड पर 20 किलो प्रतिकार्ड खाद्यान्न (गेहूँ+चावल) प्रदाय किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को एकमुश्त 06 माह का (जून–12 से नवम्बर–12) खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। माह सितम्बर–12 से नवम्बर–12 में प्रतिराशनकार्ड 15 किलो खाद्यान्न अतिरिक्त दिया जा रहा है। केरोसीन प्रतिकार्ड 5 लीटर दिया जा रहा है। साथ ही शक्कर 1.700 ग्राम प्रतिकार्ड वितरण कराई जा रही है।

(C) अन्त्योदय राशनकार्ड 27999 जिले में प्रचलित है। अन्त्योदय राशनकार्ड पर 35 किलो प्रतिकार्ड खाद्यान्न (गेहूँ) प्रदाय किया जा रहा है। उपभोक्तओं को एकमुश्त 06 माह का (जून–12 से नवम्बर–12) खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। केरोसीन प्रतिकार्ड 5 लीटर दिया जा रहा है। साथ ही शक्कर 1.700 ग्राम प्रतिकार्ड वितरण कराई जा रही है।

समर्थन मूल्य पर खरीदी :–

खरीफ वर्ष 2012–13 में शासन द्वारा मोटे अनाज/धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी 01 अक्टूबर 2012 से प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु किसानों का पंजीयन खरीदी केन्द्रों पर किया जा रहा है। जिले में धान की फसल नहीं होती है। मोटे अनाज में मक्का की पेदावार होती है। मक्का खरीदी हेतु जिले में 06 खरीदी केन्द्र निम्नानुसार खोले गये है।

01 सेवा सहकारी समिति बैजनाथ ।

02 विपणन सहकारी समिति उज्जैन।

03 विपणन सहकारी समिति तराना।

04 विपणन सहकारी समिति बड़नगर ।

05 विपणन सहकारी समिति खाचरौद ।

06 विपणन सहकारी समिति खाद्या नागदा।

उक्त केन्द्रों पर किसानों का पंजीयन कार्य 16 अगस्त 12 से चालू है जो 15 सितम्बर–12 तक जारी है। पंजीयन कराये जाने वाले किसानों की जांच शतप्रतिशत राजस्व अधिकारियों से कराई जायेगी। 10 प्रतिशत जांच अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जायेगी।

जिला आपूर्ति नियंत्रक
जिला उज्जैन